प्रेस नोट पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद दिनांक 21.03.2026

थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस द्वारा धोखाधड़ी के अभियोग में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक 23.06.2025 को थाना ट्रोनिका सिटी पर वादी खान बहादुर खां की प्राप्त तहरीर के अभियुक्तगण 1. मनोज पुत्र प्रहलाद निवासी ई 1843 रामपार्क एक्सटेन्शन थाना ट्रोनिका सिटी गाजियाबाद 2. रिजवान 3.चेतनाम पुत्र रामू निवासी 220 झिलमिल कालोनी दिल्ली 4. मौ० कामरान पुत्र नवाब अली तौमर निवासी नंगला थाना मुंडाली जनपद मेरठ 5. रूपेन्द्र पुत्र चेतनाम द्वारा धोखाधडी करके वादी का प्लाट विक्रय कराने का सौदा तय करके 01 लाख रूपये दे देना तथा बैनामा कराने व मूल दस्तावेज में कमी बताकर मूल दस्तावेज लेकर वापस ना देना तथा चेतनाम द्वारा फर्जी मुख्तारनामा आम कराकर अपने पुत्र को दान के रूप दे देना व वादी के प्लाट का ताला तोडकर कब्जा कर लेना व वादी व उसके पुत्र के साथ गाली-गलौच कर मारपीट कर व जान से मारने की धमकी देने के सम्बन्ध में प्राप्त हुआ। जिसके सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना ट्रोनिका सिटी पर सुसंगत धारा-318(4)/316(2)/336(3)/338/340(2)/115(2)/352/ 351(3)/329(3) बीएनएस के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया। अभियुक्तगण की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम का गठन किया गया।

तत्पश्चात दिनांक 20.03.2026 को थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस टीम द्वारा उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्त मौ0 कामरान पुत्र नबाव अली निवासी नंगला थाना मुंडाली जनपद मेरठ, हाल निवासी बी-34 सेक्टर 11 प्रताप विहार, थाना विजय नगर जनपद गाजियाबाद उम्र करीब 36 वर्ष को थाना क्षेत्र ट्रोनिका सिटी से गिरफ्तार किया गया। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण-

अभियुक्त ने पूछताछ करने पर बताया कि मैंने अपने साथियों के साथ मिलकर षडयन्त्र कर खान बहादुर खां के रामपार्क एक्सटेन्शन ग्राम लुत्फुल्लापुर नवादा परगना तहसील लोनी जिला गाजियाबाद में स्थित प्लाट के फर्जी दस्तावेज तैयार कराकर उसके प्लाट पर कब्जा कर लिया था।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता -

मौ0 कामरान पुत्र नबाव अली निवासी नंगला थाना मुंडाली जनपद मेरठ, हाल निवासी बी-34 सेक्टर 11 प्रताप विहार, थाना विजय नगर जनपद गाजियाबाद उम्र करीब 36 वर्ष।

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग –

अभियुक्त के विरुद्ध थाना ट्रोनिका सिटी पर उपरोक्त प्रकरण के संबंध में 01 अभियोग पंजीकृत है, अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस टीम।

थाना शालीमार गार्डन पुलिस टीम द्वारा चैकिंग के दौरान 02 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से चोरी की 01 स्कूटी, 01 मोटर साइकिल, स्नैचिंग किया हुआ 01 मोबाइल फोन व 01 पीली धातू की कान के झुमके की चेन बरामद।

कार्यवाही का विवरण:- दिनांक 20/21.03.2026 की रात्रि को थाना शालीमार गार्डन पुलिस टीम द्वारा चैकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना के आधार पर 02 अभियुक्त 1. मोहम्मद अमन पुत्र गुलाम मोहम्मद निवासी डी 302 गणेशपुरी थाना शालीमार गार्डन कमिश्नरेट गाजियाबाद उम्र करीब 22 वर्ष व 2. अमन पुत्र इरफान निवासी एफ 428 जन्नती मस्जिद के सामने शहीद नगर कमिश्नरेट गाजियाबाद उम्र करीब 20 वर्ष को गन्दे नाले की सर्विस रोड़ एक्स 01 से चोरी की 01 स्कूटी, 01 मोटर साइकिल, स्नैचिंग किया हुआ 01 मोबाइल फोन व 01 पीली धातू की कान के झुमके की चेन सहित गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार दोनों अभियुक्तों के विरुद्ध धारा 317(2), 317(5) बीएनएस के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण :- गिरफ्तार दोनों अभियुक्तों से पूछताछ करने पर यह तथ्य प्रकाश में आये कि दोनों अभियुक्तों से बरामद मोटर साइकिल को करीब 06 माह पहले दोनों अभियुक्तों ने नन्दनगरी से चोरी किया था तथा बरामद स्कूटी को करीब 06 माह पहले जीटीबी एन्क्लेव से चोरी किया तथा इसीक्रम में दोनों अभियुक्तों ने बरामद चोरी की मेटर साइकिल से 07 से 08 दिन पहले 150 फुटा रोड़ पर पैदल जा रही 01 महिला के एक कान के झुमके में लगी चैन को छीना था, जो हमसे बरामद हुई है तथा झुमका आर्टिफिसिल था, जिसे हमने फेक दिया था और अभियुक्त अमन ने बताया कि यह बरामद मोबाइल मैनें अकेले करीब एक महीने पहले बजीराबाद रोड़ पर जूडियो के पास सिंकन्दरपुर से एक लड़के से छीना था। दोनों अभियुक्त चोरी की हुई मोटर साइकिल व स्कूटी तथा स्नैच की हुई 01 पीली धातू की कान के झुमके की चेन व मोबाइल फोन को बेचने की फिराक में घूम रहे थे कि पुलिस ने चैकिंग के दौरान पकड़ लिया।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता:-

1. मोहम्मद अमन पुत्र गुलाम मोहम्मद निवासी डी 302 गणेशपुरी थाना शालीमार गार्डन कमिश्नरेट गाजियाबाद उम्र करीब 22 वर्ष।
2. अमन पुत्र इरफान निवासी एफ 428 जन्नती मस्जिद के सामने शहीद नगर कमिश्नरेट गाजियाबाद उम्र करीब 20 वर्ष।

बरामदगी का विवरण:-

चोरी की 01 स्कूटी व 01 मोटर साइकिल तथा स्नैचिंग किया हुआ 01 मोबाइल फोन व 01 पीली धातू की कान के झुमके की चेन बरामद।

गिरफ्तार अभियुक्तों का आपराधिक इतिहास:-

गिरफ्तार अभियुक्तों के विरुद्ध चोरी, चोरी का माल बरामद होने व स्नैचिंग के थाना शालीमार गार्डन पर 02 अभियोग, थाना टीलामोड, थाना नन्दनगरी दिल्ली व थाना जीटीबीनगर दिल्ली पर 01-01 अभियोग कुल 05 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

थाना शालीमार गार्डन पुलिस टीम।

थाना खोडा पुलिस टीम द्वारा दहेज हत्या के अभियोग में वांछित 01 अभियुक्त व 01 अभियुक्ता गिरफ्तार।

कार्यवाही का विवरणः- दिनांक 17.02.2026 को थाना खोडा पर वादी ने लिखित तहरीर दी और बताया कि मेरी बेटी चांदनी के ससुरालीजनों द्वारा मेरी बेटी की फांसी का फन्दा लगाकर हत्या कर दी गयी है। जिसके सम्बन्ध में थाना खोडा पुलिस द्वारा तत्काल कार्यवाही करते हुए सुसंगत धारा 80(2)/85 बीएनएस व 3/4 द0प्र0अधि0 के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया। जिसके क्रम में दिनांक 22.02.2026 को उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्त (मृतका का पति) विपिन उर्फ गुडवा पुत्र महेश केवट निवासी ग्राम चसुआ बकरा थाना पावी पुरी जनपद नालन्दा बिहार को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। इसीक्रम में आज दिनांक 21.03.2026 को थाना खोडा पुलिस टीम द्वारा अभियुक्त 1. राजकुमार पुत्र चन्दर केवट निवासी गली नं0 6 नवनीत विहार थाना खोड़ा कमिश्नरेट गाजियाबाद उम्र करीब 45 वर्ष व 01 अभियुक्ता को उनके मस्कन से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त व अभियुक्ता उपरोक्त के विरुद्ध धारा 80(2)/85 बीएनएस व 3/4 द0प्र0अधि0 के अन्तर्गत आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरणः- गिरफ्तार अभियुक्ता से पूछताछ करने पर अभियुक्ता ने बताया कि मेरे भाई विपिन उर्फ गुडवा की शादी वादी की बेटी से करीब ढाई वर्ष पहले हुई थी। शादी से कुछ समय बाद तक तो सबकुछ सही चल रहा था परन्तु कुछ दिनों से रोजाना घर पर छोटी-छोटी बातों को लेकर कलेश होता था। घर में पैसों की तंगी थी तो मेरा भाई उससे अपने मायके से पैसे लाने के लिए भी कहता था परन्तु वह पैसे लाने से मना कर देती थी। इसीक्रम में दिनांक 15.02.2026 की रात्रि में भी किसी बात को लेकर उन दोनों में झगड़ा हुआ था। उसके बाद हम लोगों ने आवेश में आकर यह कदम उठाया था।

गिरफ्तार अभियुक्त व अभियुक्ता का नाम पताः-

1. राजकुमार पुत्र चन्दर केवट निवासी गली नं0 6 नवनीत विहार थाना खोड़ा कमिश्नरेट गाजियाबाद उम्र करीब 45 वर्ष।
2. 01 अभियुक्ता।

गिरफ्तार अभियुक्त व अभियुक्ता का आपराधिक इतिहासः-

गिरफ्तार अभियुक्त व अभियुक्ता के विरुद्ध थाना खोडा पर दहेज हत्या के सम्बन्ध में 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

थाना खोडा पुलिस टीम।